निविदा प्रपत्र (मूल्य– रू0 1150.00 वैट सहित) **रसीद संख्या ..../...............दिनांक...................**

नगर निगम, गोरखपुर

नगर निगम सीमान्तर्गत विज्ञापन के विभिन्न संसाधनों से विज्ञापन कर वसूली हेतु प्रस्ताव

1– विज्ञापन एजेन्सी/फर्म/संस्था/ठेकेदार का नाम–..

2– पता– ....

....

3– विज्ञापनकर्ता/आवेदक का नाम–...

4– पंजीकरण श्रेणी–..

5– वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु नवीनीकरण– नवीनीकृत/अनवीनीकृत

6– मोबाइल नं0–...

7– ई–मेल आई डी–..

8– विज्ञापन कर एवं प्रीमियम का प्रस्ताव का विवरण:–

क्र0 सं0	विज्ञापन संसाधन	विज्ञापन कर की धनराशि	प्रीमियम आफर की धनराशि	विज्ञापन कर की 50 प्रतिशत धनराशि	प्रीमियम आफर की सम्पूर्ण एवं विज्ञापन कर की 50 प्रतिशत धनराशि का योग (4+5)
1	2	3	4	5	6
1	छतरी (कैनोपी)/प्रचार वाहन एवं अन्य वाहनों पर विज्ञापन	100000.00		50000.00	
2	पताका बैनर/दिवालों पर वॉल राइटिंग	400000.00		200000.00	
3	ट्री गार्ड एवं फ्लावर पॉट	200000.00		100000.00	
4	पोस्टर/पर्चा (हैण्डबिल)/गुब्बारे	100000.00		50000.00	
	योग–	800000.00		400000.00	

9– निविदा के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक का विवरण :–

(I) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या...दिनांक...

(II) धनराशि अंकों में.................................(शब्दों में)..

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि नगर निगम, गोरखपुर में विज्ञापन सम्बन्धित समस्त करों एवं अन्य देयकों की कोई पावना मेरी विज्ञापन एजेन्सी/फर्म/संस्थान पर अवशेष नहीं है। नगर निगम, गोरखपुर द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न है।

मैनें निविदा से सम्बन्धित समस्त शर्तो को पढ़ लिया है, जो मुझे स्वीकार है। मेरी विज्ञापन एजेन्सी/फर्म/संस्थान को किसी सरकारी/गैर सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारियाँ एवं विवरण सही और सत्य है, यदि जाँचोपरान्त कोई जानकारी भ्रामक अथवा मिथ्या हो, तो नगर निगम, गोरखपुर मेरे द्वारा जमा आफर एवं धरोहर की धनराशि जब्त करते हुए मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है।

संलग्नकों की संख्या.................................

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक के नाम व हस्ताक्षर

विज्ञापन विभाग, नगर निगम, गोरखपुर

वर्ष 2017–18 के लिए विज्ञापन के विभिन्न संशाधनों से विज्ञापन कर वसूली हेतु नियम व शर्तें

1– गोरखपुर नगर निगम सीमान्तर्गत विज्ञापन प्रदर्शित करने का अनुबन्ध वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु है, जिसे नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत नवीनीकृत किया जा सकता है।

2– नगर निगम, गोरखपुर सीमान्तर्गत विज्ञापन कर वसूली हेतु विज्ञापन के संशाधनों का विवरण–

क्रमांक	विज्ञापन संसाधन	निर्धारित विज्ञापन कर (रू0)
1–	छतरी (कैनोपी)/ प्रचार वाहन एवं अन्य वाहनों पर विज्ञापन	100000.00
2–	पताका (बैनर)/दीवालों पर वॉल राइटिंग	400000.00
3–	ट्री गार्ड एवं फ्लावर पॉट	200000.00
4–	पोस्टर/परचा (हैण्ड बिल)/गुब्बारे/सड़क प्रदर्शन	100000.00

प्रतिबन्धित क्षेत्र

(क)– **निजी भूमि भवन एव सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रचार हेतु निषिद्ध क्षेत्र :**

(1) गोरखनाथ मन्दिर के आस पास, विश्वविद्यालय रोड आ0टी0आ0 तिराहा से विश्वविद्यालय गेट तक, सर्किट हउस रोड

(ख) **स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत प्रचार हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र**

(1) जिलाधिकारी आवास, आयुक्त आवास तथा कार्यालय आयुक्त एव कार्यालय नगर निगम परिसर ।

(2) शहर के समस्त मुख्य चौराहें एव मुख्य चौराहों से चारों ओर 20 मीटर तक

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व वाले मार्ग।

(4) नगर आयुक्त वी0 वी0 आई0 पी0 मूवमेन्ट, यातायात एव सुरक्षा की दृष्टि से भविष्य में उपरगामी सेतु हेतु निर्धारित रूट पर पिलर के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रचार हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिए अधिकृत होगें।

विज्ञापन कर की दरें

छतरी (कैनोपी)–

(एक) रू0 450/–(चार सौ पचास रूपया मात्र) प्रतिदिन

पताका (बैनर)–

(एक) रू0 180/–(एक सौ अस्सी रूपया मात्र) प्रति बैनर

प्रचार वाहन–

शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सडक प्रदर्शन छोडकर)

हल्का वाहन : रू0 4500/–(चार हजार पॉच सौ) प्रतिवर्ष प्रति वाहन

भारी वाहन : रू0 18000/–(अठ्ठारह हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन

सडक प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर–

तीन पहिया : रू0 90/– (नब्बे रूपया) प्रति दिन

चार पहिया : रू0 450/– (चार सौ पचास) प्रति दिन

छः पहिया : रू0 900/– (नौ सौ) प्रति दिन

अन्य वाहनों पर विज्ञापन–

आटो रिक्शा थ्री–व्हीलर : रू0 900/– (नौ सौ रूपया मात्र) प्रतिवर्ष प्रति आटो

बसों पर –: रू0 1800/– (एक हजार आठ सौ रूपया मात्र) प्रतिवर्ष प्रतिवर्गमीटर

दीवालों पर वॉल राइटिंग –

"प्रवर" श्रेणी क्षेत्र :रू0 1800/– (एक हजार आठ सौ रूपया मात्र) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

"अ" श्रेणी क्षेत्र : रू0 1080/– (एक हजार अस्सी रूपया मात्र) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

"ब" श्रेणी क्षेत्र : रू0 900/– (नौ सौ रूपया मात्र) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

"स" श्रेणी क्षेत्र : रू0 720/– (सात सौ बीस रूपया मात्र) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

ट्री गार्ड एवं फ्लावर पॉट–

"प्रवर" श्रेणी क्षेत्र रू0 1800/– (एक हजार आठ सौ रूपया मात्र) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

"अ" श्रेणी क्षेत्र : रू0 1080/– (एक हजार अस्सी रूपया मात्र) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

"ब" श्रेणी क्षेत्र : रू0 900/– (नौ सौ रूपया मात्र) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
"स" श्रेणी क्षेत्र : रू0 720/– (सात सौ बीस रूपया मात्र) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

पोस्टर : रू0 270/–(दो सौ सत्तर रूपया मात्र) प्रति सैकडा
परचा (हैण्ड बिल) : रू0 540/–(पॉच सौ चालीस रूपया मात्र) प्रति हजार
गुब्बारे :: रू0 450/–(चार सौ पचास रूपया मात्र) प्रतिदिन

3– विज्ञापन एजेन्सियों/फर्मो/ठेकेदारों के चयन एवं वरीयता का आधार प्रीमियम आफर की धनराशि होगी।

4– नगर निगम, गोरखपुर के विज्ञापन विभाग द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न न करने की दशा में प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

5– प्रस्ताव के साथ आफर/निविदा फार्म मूल्य की रसीद एवं वेबसाइड से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट मूलरूप से संलग्न करना होगा।

6– यदि आफरदाता द्वारा विज्ञापन कर के धनराशि की अदायगी शर्तानुसार नही की जाती है अथवा निविदा की किन्ही शर्तो का उल्लंघन किया जाता है, तो आफर निरस्त कर दिया जायेगा तथा कोई धनराशि वापस नही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आफरदाता का होगा।

7– उचित मूल्य के स्टैम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराने के उपरान्त ही विज्ञापन के विभिन्न संसाधनों से स्थापित करने की अनुज्ञा जारी की जाएगी।

8– भविष्य में नगर निगम द्वारा अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क आरोपित किया जाता है, अथवा विज्ञापन कर की दरों में वृद्धि की जाती है तो परिवर्तित दरों के अनुसार विज्ञापन कर जमा करना होगा

9– गोरखपुर नगर निगम (विज्ञापनों पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली–2015 के प्राविधानों के अनुसार ही विज्ञापन के विभिन्न संसाधनों से विज्ञापन प्रदर्शित करना होगा, अन्यथा की स्थिति में नियमावली में दी गयी व्यवस्था अनुसार जुर्माना/दण्ड, शमन, अनुज्ञा निरस्तीकरण इत्यादि कार्यवाही की जाएगी।

10– नगर निगम/जिला प्रशासन/चुनाव आयोग अथवा राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम द्वारा हटाये गये विज्ञापनों की क्षतिपूर्ति का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11– प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत आवेदक को अवशेष विज्ञापन कर, निर्धारित स्टाम्प शुल्क जमा करना होगा, तत्पश्चात् अनुज्ञा निर्गत की जाएगी।

12– नियम/शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा तथा जमा धनराशि जब्त कर भविष्य के लिए प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा।

13– निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर में निहित होगा। बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त किया जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी विज्ञापन
नगर निगम, गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर